न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

देवीलाल बनाम [illegible]

धारा 111-128 किस्म [illegible]

प्र०सं० 21/2017

16/17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 13.2.17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

13.2.17 पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकार जी
[illegible] है। पत्रावली
दिनांक 27.3.17 को पेश हो।
आदेश से रीडर

27.3.17 पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकार जी
अवकाश पर है। पत्रावली
दिनांक 25.5.17 को पेश हो।
आदेश से रीडर

24.5.17 पत्रावली पेश उभयपक्ष
उपस्थित/पीठासीन अधिकार जी
राज. कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
दिनांक [illegible] को पेश हो।
आदेश से रीडर

23.6.17 पत्रावली कोई नम्बर कार्यवाही [illegible] पर पेश। फाजल अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली दाखिल शुमार होकर नम्बर से नाम हो।

[illegible]

SDM Bhilwara

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भीलवाडा, केम्प कोर्ट – कारोई
पीठासीन अधिकारी– श्रीमति रेणु मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 21/2017

1. देबीलाल पिता प्रभु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. मिठु पिता प्रभु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजू पिता प्रभु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. भंवर लाल पिता नाथु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. गीता पिता नाथु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. अनका पिता नाथु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
7. जस्सु पत्नी नाथु गुर्जर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. बसु पिता गोमा कीर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रोडू पिता गोमा कीर, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. शंकर पिता नारू खटीक, निवासी गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि. 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 27.12.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुरलां, पटवार हल्का गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1336 रकबा 00–10 बीघा, आराजी संख्या 1338 रकबा 00–08 बीघा, आराजी संख्या 1339 रकबा 00–17 बीघा, आराजी संख्या 1344 रकबा 01–04 बीघा, आराजी संख्या 1469 रकबा 01–05 बीघा, आराजी संख्या 1496 रकबा 01–16 बीघा, आराजी संख्या 1497 रकबा 00–18 बीघा, आराजी संख्या 1509 रकबा 02–07 बीघा, आराजी संख्या 1520 रकबा 00–08 बीघा, आराजी संख्या 1533 रकबा 00–12 बीघा, कुल किता 12 कुल रकबा 12–03 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेषा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम गुरलां, पटवार हल्का गुरलां, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1336 रकबा 00—10 बीघा, आराजी संख्या 1338 रकबा 00—08 बीघा, आराजी संख्या 1339 रकबा 00—17 बीघा, आराजी संख्या 1344 रकबा 01—04 बीघा, आराजी संख्या 1469 रकबा 01—05 बीघा, आराजी संख्या 1496 रकबा 01—16 बीघा, आराजी संख्या 1497 रकबा 00—18 बीघा, आराजी संख्या 1509 रकबा 02—07 बीघा, आराजी संख्या 1520 रकबा 00—08 बीघा, आराजी संख्या 1533 रकबा 00—12 बीघा, कुल किता 12 कुल रकबा 12—03 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 1300/— अक्षरे तेरह सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा करावे, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 23.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(रेनू मीना आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
भीलवाडा